संख्या-72/2021/1244/26-3-2021-10(28)/1999

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 12 अप्रैल, 2021

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-"2225 व 2235" पर संचालित अधिष्ठान/योजनाओं से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियां के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-01-03/स0क0/ लेखा-बजट/वित्तीय-स्वीकृतियां/2021-22, दिनांक 05.04.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च 2021, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के लेखाशीर्षक '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-" एवं "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण" के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में खर्चो को वहन करने के लिए कुल प्राविधानित धनराशि रू0-551733.35 लाख (रू0 पचपन अरब सत्रह करोड़ तेतीस लाख पैतीस हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0-383729.12 लाख (रू0 अड़तीस अरब सैतीस करोड़ उन्तीस लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2021-22 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021, दिनांक 22 मार्च 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च 2021 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

संख्या-72/2021/1244(1)/26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या–72 /2021/1244 /26–3–2021–10(28)/99, दिनांक–12 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

अनुदान संख्या–80

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लेखा शीर्षक 2225 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं लेखाशीर्षक 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण में वित्तीय स्वीकृतियां अवमुक्त करने के संबंध में।

रू0 लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	आय–व्ययक प्राविधान वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वित्तीय स्वीकृतियां
1	2	3
राजस्व लेखा		
2013–मंत्री परिषद		
105–मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान		
03–समाज कल्याण मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान		
42–अन्य व्यय	0.35	0.00
योग : 105	0.35	0.00
योग : 2013	0.35	0.35
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
01– अनुसूचित जातियों का कल्याण		
001– निदेशन तथा प्रशासन		
03– मुख्यालय अधिष्ठान		
01– वेतन	1119.36	1119.36
02–मजदूरी	6.00	6.00
03–मंहगाई भत्ता	335.81	335.81
04–यात्रा व्यय	10.00	10.00
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	1.50
06– अन्य भत्ते	1.10	1.10
07–मानदेय	0.25	0.25
08–कार्यालय व्यय	80.00	80.00
09–विद्युत देय	65.00	65.00
10–जलकर/जल प्रभार	10.00	10.00
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25.85	25.85
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	11.00	11.00
13–टेलीफोन पर व्यय	4.50	4.50
15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	54.00	54.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30.00	30.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	10.00	10.00
18–प्रकाशन	2.00	2.00
29–अनुरक्षण	12.00	12.00
42–अन्य व्यय	5.00	5.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10.00	10.00
45–अवकाश यात्रा व्यय	5.00	5.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25.00	25.00
49–चिकित्सा व्यय	60.00	60.00
51–वर्दी व्यय	0.80	0.80
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

55–मकान किराया भत्ता	84.26	84.26
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15.20	15.20
योग : 03	**1983.63**	**1983.63**
04– मण्डलीय कार्यालयों का अधिष्ठान		
01–वेतन	618.20	618.20
03–मंहगाई भत्ता	185.46	185.46
04–यात्रा व्यय	5.50	5.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
06–अन्य भत्ते	6.00	6.00
07–मानदेय	0.15	0.15
08–कार्यालय व्यय	52.47	52.47
09–विद्युत देय	33.30	33.30
10–जलकर/जल प्रभार	2.75	2.75
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छमाई	25.65	25.65
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.05	6.05
13–टेलीफोन पर व्यय	6.00	6.00
15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	64.80	64.80
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00	4.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	25.60	25.60
42–अन्य व्यय	0.05	0.05
45–अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	23.10	23.10
49–चिकित्सा व्यय	9.24	9.24
51–वर्दी व्यय	0.50	0.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	34.06	34.06
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	10.00
योग : 04	**1116.88**	**1116.88**
05– जिला कार्यालयों का अधिष्ठान		
01–वेतन	4077.89	4077.89
03–मंहगाई भत्ता	1223.37	1223.37
04–यात्रा व्यय	36.85	36.85
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	11.55	11.55
06–अन्य भत्ते	5.00	5.00
07–मानदेय	1.50	1.50
08–कार्यालय व्यय	240.20	240.20
09–विद्युत देय	80.00	80.00
10–जलकर/जल प्रभार	10.00	10.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छमाई	44.66	44.66
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20.61	20.61
13–टेलीफोन पर व्यय	22.50	22.50
15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	225.00	225.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6.00	6.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	15.00	15.00
42–अन्य व्यय	8.53	8.53
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	7.75	7.75
45–अवकाश यात्रा व्यय	10.75	10.75
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	11.00	11.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	67.00	67.00
49–चिकित्सा व्यय	100.00	100.00
51–वर्दी व्यय	3.10	3.10
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	210.99	210.99
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8.00	8.00
योग : 05	**6447.25**	**6447.25**
योग : 001	**9547.76**	**9547.76**
102 –आर्थिक विकास		
03–औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम		
प्रोत्साहन योजना		
01–वेतन	111.79	111.79
03–मंहगाई भत्ता	33.54	33.54
04–यात्रा व्यय	0.30	0.30
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	0.50	0.50
07–मानदेय	0.50	0.50
08–कार्यालय व्यय	0.90	0.90
09–विद्युत देय	1.10	1.10
10–जलकर/जल प्रभार	0.22	0.22
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.45	0.45
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.45	0.45
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.30	0.30
49–चिकित्सा व्यय	0.60	0.60
51–वर्दी व्यय	0.05	0.05
52–पुनरीक्षित वेतन अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	7.00	7.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	2.00
योग : 03	**160.20**	**160.20**
योग : 102	**160.20**	**160.20**
277–शिक्षा		
01– केन्द्र प्रयोजित योजनाए		
0102–अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति (के.60/रा.40)		
21– छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	80000.00	80000.00
03–औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		
01–वेतन	681.20	681.20
03–मंहगाई भत्ता	204.36	204.36

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

04–यात्रा व्यय	0.75	0.75
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	1.00	1.00
07–मानदेय	1.60	1.60
08–कार्यालय व्यय	31.46	31.46
09–विद्युत देय	72.60	72.60
10–जलकर/जल प्रभार	3.00	3.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.32	1.32
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.68	4.68
13–टेलीफोन पर व्यय	0.75	0.75
15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्राल आदि की खरीद	1.00	1.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.25	1.25
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	2.70	2.70
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	3.30	3.30
29–अनुरक्षण	3.85	3.85
39–औषधि तथा रसायन	1.10	1.10
42–अन्य व्यय	0.77	0.77
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.43	1.43
45–अवकाश यात्रा व्यय	3.00	3.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.75	2.75
49–चिकित्सा व्यय	10.00	10.00
51–वर्दी व्यय	0.20	0.20
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	40.34	40.34
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8.00	8.00
योग : 03	**1082.91**	**1082.91**
04– अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास		
01–वेतन	1936.51	1936.51
02–मजदूरी	22.00	22.00
03–मंहगाई भत्ता	580.95	580.95
04–यात्रा व्यय	3.30	3.30
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.10	1.10
06–अन्य भत्ते	3.00	3.00
07–मानदेय	1.50	1.50
08–कार्यालय व्यय	17.60	17.60
09–विद्युत देय	900.00	900.00
10–जलकर/जल प्रभार	10.00	10.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	8.32	8.32
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	23.10	23.10
13–टेलीफोन पर व्यय	0.60	0.60
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00	3.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	10.00	10.00
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	33.00	33.00
29–अनुरक्षण	44.00	44.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

42–अन्य व्यय	28.60	28.60
45–अवकाश यात्रा व्यय	9.00	9.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.60	3.60
49–चिकित्सा व्यय	27.60	27.60
51–वर्दी व्यय	1.00	1.00
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	100.24	100.24
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	48.40	48.40
योग : 04	**3816.42**	**3816.42**
07–विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनूसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और		
पाठशालाओं का सुधार विस्तार (जिला योजना)		
20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)	300.00	300.00
31–सहायता अनुदान– सामान्य (वेतन)	21961.36	21961.36
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष्ठ (राज्य सहायता)	0.00	0.00
योग : 07	**22261.36**	**22261.36**
09– ज्योतिवाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय		
01–वेतन	1920.24	1920.24
02–मजदूरी	22.00	22.00
03–मंहगाई भत्ता	576.07	576.07
04–यात्रा व्यय	5.50	5.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	3.00
06–अन्य भत्ते	5.00	5.00
07–मानदेय	6.00	6.00
08–कार्यालय व्यय	17.60	17.60
09–विद्युत देय	700.00	700.00
10–जलकर/जल प्रभार	6.00	6.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	6.66	6.66
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	19.36	19.36
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20.00	20.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	10.00	10.00
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10.00	10.00
29–अनुरक्षण	16.50	16.50
39–औषधि तथा रसायन	13.20	13.20
41–भोजन व्यय	363.00	363.00
42–अन्य व्यय	3.30	3.30
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.87	1.87
45–अवकाश यात्रा व्यय	5.00	5.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.50	1.50
49–चिकित्सा व्यय	15.00	15.00
51–वर्दी व्यय	0.60	0.60
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	108.23	108.23
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	270.00	270.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

योग : 09	4125.63	4125.63
10–अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता		
1001–राज्य योजना		
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.00	0.00
13–अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की		
स्थापना		
01–वेतन	127.76	127.76
03–मंहगाई भत्ता	38.33	38.33
04–यात्रा व्यय	0.40	0.40
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	1.00	1.00
07–मानदेय	30.00	30.00
08–कार्यालय व्यय	4.00	4.00
09–विद्युत देय	50.00	50.00
10–जलकर/जल प्रभार	120.00	120.00
11–लेखन सामग्र और फार्मो की छपाई	3.30	3.30
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.50	5.50
13–टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	54.25	54.25
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	10.00	10.00
26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.00	1.00
29–अनुरक्षण	1.10	1.10
41–भोजन व्यय	35.00	35.00
42–अन्य व्यय	0.50	0.50
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	4.85	4.85
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.10	1.10
49–चिकित्सा व्यय	5.00	5.00
51–वर्दी व्यय	0.20	0.20
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	7.71	7.71
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	10.00
योग : 13	517.50	517.50
15–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को आर्थिक सहायता		
21–छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	0.00	0.00
19–अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति		
21– छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन		
20– मैला, उठाने, चमड़ा उतारने जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तिओं के दशमपूर्व		
कक्षाओं (कक्षा 1 से 10 तक) अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति		
21– छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.00	0.00
योग : 277	111803.82	111803.82

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

793– अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता		
03– मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था		
01–वेतन	6792.13	6792.13
03–मंहगाई भत्ता	2037.64	2037.64
04–यात्रा व्यय	30.80	30.80
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.80	5.80
06–अन्य भत्ते	20.00	20.00
07–मानदेय	0.15	0.15
08–कार्यालय व्यय	9.52	9.52
09–विद्युत देय	8.00	8.00
10–जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.86	2.86
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.40	4.40
15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	125.00	125.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.50	1.50
42–अन्य व्यय	2.90	2.90
45–अवकाश यात्रा व्यय	5.65	5.65
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	2.20	2.20
49–चिकित्सा व्यय	60.00	60.00
51–वर्दी व्यय	0.80	0.80
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	310.00	310.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	10.00
योग : 03	**9430.35**	**9430.35**
योग : 793	**9430.35**	**9430.35**
योग : 01	**130942.13**	**130942.13**
80–सामान्य		
101– अनुसूचित तथा अन्य खानाबदोश जनजातियों का कल्याण		
03– अखिल भारतीय बंजारा उदासीन आश्रम, वृन्दावन रोड, मथुरा को अनावर्तक अनुदान		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	**0.00**	**0.00**
योग : 101	**0.00**	**0.00**
102– स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान		
03– डा० अम्बेडकर जन्म शताब्दी फाउन्डेशन की स्थापना		
20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	2.80	1.40
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	12.00	12.00
योग : 03	**14.80**	**13.40**
योग : 102	**14.80**	**13.40**
800–अन्य व्यय		
03–शैक्षिक कार्यक्रम		
0301–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन		
01–वेतन	893.26	893.26
02–मजदूरी	2.00	2.00
03–मंहगाई भत्ता	267.98	267.98
04–यात्रा व्यय	2.00	2.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	1.00	1.00
07–मानदेय	0.05	0.05
08–कार्यालय व्यय	4.02	4.02
09–विद्युत देय	14.30	14.30
10–जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.65	1.65
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.32	1.32
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00	1.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	2.00	2.00
29–अनुरक्षण	3.50	3.50
39–औषधि तथा रसायन	2.25	2.25
41–भोजन व्यय	200.00	200.00
42–अन्न व्यय	0.80	0.80
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	80.00	80.00
45–अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
49–चिकित्सा व्यय	2.50	2.50
51–वर्दी व्यय	0.10	0.10
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	50.00	50.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	1.00
योग 0301	**1533.23**	**1533.23**
0302– विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति के विद्यालयों के संचालन के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	440.00	73.33
योग : 03	**1973.23**	**1606.56**
04– पूर्व दशम कक्षाओं में पढ़ने वाले विमुक्त जातियों के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति/अनावर्ती सहायता (कक्षा 1से 10 तक के छात्रों के लिये)		
0401–राज्य योजना		
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	**0.00**	**0.00**
05–आर्थिक उत्थान		
0501–राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण		
01–वेतन	211.19	211.19
03–मंहगाई भत्ता	63.36	63.36
04–यात्रा व्यय	0.40	0.40
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	1.00	1.00
07–मानदेय	0.50	0.50
08–कार्यालय व्यय	0.55	0.55
09–विद्युत देय	1.50	1.50
10–जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.66	0.66
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.33	0.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	0.20	0.20
29–अनुरक्षण	1.00	1.00
45–अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
49–चिकित्सा व्यय	1.20	1.20
51–वर्दी व्यय	0.03	0.03
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	13.00	13.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.10	0.10
योग : 0501	**297.52**	**297.52**
0503–विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र		
01–वेतन	27.51	27.51
03–महंगाई भत्ता	8.25	8.25
04–यात्रा व्यय	0.10	0.10
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.15	0.15
06–अन्य भत्ते	0.25	0.25
07–मानदेय	0.01	0.01
08–कार्यालय व्यय	0.22	0.22
09–विद्युत देय	2.00	2.00
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.20	0.20
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.00	0.00
42–अन्य व्यय	0.00	0.00
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.20	0.20
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.20	0.20
49–चिकित्सा व्यय	0.50	0.50
51–वर्दी व्यय	0.02	0.02
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	1.50	1.50
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.50	0.50
योग : 0503	**41.61**	**41.61**
योग : 05	**339.13**	**339.13**
योग : 800	**2312.36**	**1945.69**
योग : 50	**2327.16**	**1959.09**
योग 2225	**133269.29**	**132901.22**
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
01–पुनर्वास		
800–अन्य व्यय		
03–कश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता		
20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	27.81	13.91
योग : 800	**27.81**	**13.91**
योग : 01	**27.81**	**13.91**
02– समाज कल्याण		
104–वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण		
02– वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

को सहायता		
20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	5000.00	5000.00
03–वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह		
01–वेतन	47.35	47.35
03–मंहगाई भत्ता	14.21	14.21
04–यात्रा व्यय	0.10	0.10
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.20
06–अन्य भत्ते	0.20	0.20
07–मानदेय	0.01	0.01
08–कार्यालय व्यय	0.15	0.15
09–विद्युत देय	0.50	0.50
10–जलकर/जल प्रभार	0.25	0.25
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.15	0.15
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.25	0.25
17–किराया, उपशुल्क और कर –स्वामित्व	1.00	1.00
29–अनुरक्षण	0.30	0.30
41–मोटर व्यय	3.00	3.00
42–अन्य व्यय	0.10	0.10
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.00	1.00
45–अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
49–चिकित्सा व्यय	0.60	0.60
51–वर्दी व्यय	0.02	0.02
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	2.50	2.50
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	1.00
योग : 03	**73.89**	**73.89**
04– भिक्षावृति का निवारण		
01–वेतन	424.65	424.65
03–मंहगाई भत्ता	127.40	127.40
04–यात्रा व्यय	0.50	0.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.30	0.30
06–अन्य भत्ते	1.00	1.00
08–कार्यालय व्यय	1.00	1.00
09–विद्युत देय	2.00	2.00
10–जलकर/जल प्रभार	0.50	0.50
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50	0.50
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.50
13–टेलीफोन पर व्यय	0.15	0.15
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.50	0.50
17–किराया, उपशुल्क और कर –स्वामित्व	1.65	1.65
29–अनुरक्षण	0.50	0.50
41–मोटर व्यय	5.00	5.00
42–अन्य व्यय	0.15	0.15
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	2.00	2.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
49–चिकित्सा व्यय	2.00	2.00
51–वर्दी व्यय	0.08	0.08
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	25.00	25.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	5.00
योग : 04	**601.38**	**601.38**
05–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम		
0501–राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	175000.00	87500.00
0502–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	45000.00	22500.00
योग : 05	**220000.00**	**110000.00**
06–वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण हेतु अधिकरण/अपीलीय अधिकरण का संचालन		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	600.00	600.00
योग : 104	**226275.27**	**116275.27**
107–स्वेच्छा संगठनों को सहायता		
03– मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिये अनुदान		
20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)	15.00	15.00
31–सहायता अनुदान– सामान्य (वेतन)	1413.88	1413.88
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	0.00	0.00
योग : 03	**1428.88**	**1428.88**
05– समाज कल्याण के विभिन्न कार्यो में लगे स्वेच्छिक संगठनों को सहायता		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.00	0.00
योग : 107	**1428.88**	**1428.88**
200–अन्य कार्यक्रम		
03– अनुसूचित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन		
यापन करने वाले परिवारों के पूर्व दशम् (कक्षा 1 से 10 तक) छात्रों को छात्रवृत्ति		
21–छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	2500.00	2500.00
05–सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के युवक/युवतियों के लिये पूर्व		
परीक्षा प्रशिक्षण		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	108.00	27.00
06–सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	5000.00	5000.00
07–अनुसूचित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के अश्रित छात्रों		
को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति		
21–छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	40000.00	40000.00
08–आई.ए.एस./पी.सी.एस. मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	55.00	13.75
09–समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण		
02–मजदूरी	20.00	20.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	16.00	16.00
13–टेलीफोन पर व्यय	6.00	6.00
42–अन्य व्यय	42.50	42.50
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	10.00	10.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	380.00	380.00
योग : 09	**474.50**	**474.50**
10–मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	50.00	50.00
11–विभिन्न स्थित संस्थानों में आई.ए.एस./पी.सी.एस. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु		
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.01	0.00
12–मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	25000.00	25000.00
13–"अन्त्योदय योजना" के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क		
07–मानदेय	1000.00	1000.00
42–अन्य व्यय	800.00	800.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	200.00	200.00
योग : 13	**2000.00**	**2000.00**
योग : 2010	**75187.51**	**75065.25**
800–अन्य व्यय		
03–आयुक्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था		
01–वेतन	40.33	40.33
03–महंगाई भत्ता	12.10	12.10
06–अन्य भत्ते	0.25	0.25
07–मानदेय	0.01	0.01
26–मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00
39–औषधि तथा रसायन	0.30	0.30
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.15	0.15
52–पुनर्रक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	1.50	1.50
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
57–प्रविदेश बन्दी भत्ता	1.25	1.25
योग : 03	**55.89**	**55.89**
योग : 800	**55.89**	**55.89**
योग : 02	**302947.55**	**192825.29**
60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
102–समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन		
03–वृद्धावस्था/किसान पेंशन		
0301–अधिष्ठान		
01–वेतन	345.00	345.00
03–महंगाई भत्ता	103.50	103.50
04–यात्रा व्यय	2.75	2.75
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	1.00	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

07–मानदेय	0.20	0.20
08–कार्यालय व्यय	1.65	1.65
09–विद्युत देय	2.00	2.00
10–जलकर / जल प्रभार	0.50	0.50
11–लेखन सामग्र और फार्मों की छपाई	1.00	1.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50	1.50
49–चिकित्सा व्यय	6.60	6.60
51–वर्दी व्यय	0.15	0.15
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	21.00	21.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	1.00
योग : 0301	488.35	488.35
0302– वृद्धावस्था / किसान पेंशन		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	115000.00	57500.00
योग : 03	115488.35	57988.35
योग : 102	115488.35	57988.35
योग : 60	115488.35	57988.35
योग : 2235	418463.71	250827.55
योग 2013	0.35	0.35
योग 2225	133269.29	132901.22
योग 2235	418463.71	250827.55
महायोग(2013+2225+2235+4059)	551733.35	383729.12

(रू0 अड़तीस अरब सैतीस करोड़ उन्तीस लाख बारह हजार मात्र)

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।